तीसरी अनुसूची

(धारा 71 की उप धारा (1) देखें)

ऐसे मामलों के सम्बन्ध में,जिससे द्वीप परिषद प्राधिकृत होगी, ताकि यह स्वायत्त संस्थान के रूप में कार्य करने में सक्षम होगी ।

1. स्वच्छता और स्वास्थ्य के क्षेत्र में :–

(क) महामारियों पर निमंत्रण और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और अनुरक्षण;

(ख) परिवार नियोजन;

(ग) शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना;

(घ) औषधालयों, दवाखानों, प्रसूति घरों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का अनुरक्षण;

(ङ) स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के संरक्षण के लिए निम्नलिखित पद्धतियों पर विचार :–

(i) पोषाहार;

(ii) मृतृत्वता और बाल कल्याण;

(iii) संक्रामक रोगों पर नियंत्रण तथा रोकथाम;

(च) महामारियों के खिलाफ लोगों को सहायता तथा सुरक्षा उपलब्ध कराना ।

2. संचार के क्षेत्र मे :–

(क) ग्रामीण सम्पर्क सड़कों का निर्माण और अनुरक्षण;

(ख) ग्रामीण पहुँचमार्ग के निर्माण तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करना ।

3. मिडिल तथा माध्यमिक शिक्षा और सस्ंकृति के क्षेत्र में :–

(क) शैक्षणिक संस्थानों का दौरा;

(ख) पूछताछ के लिए उपस्थिति तथा अन्य रजिस्टरों की जाँच तथा शैक्षणिक कमियों तथा गाँव की आवश्यकताओं पर संबन्धित प्राधिकारियों को रिपोर्ट देना;

(ग) मिडिल तथा माध्यमिक विद्यालयों के वार्षिक बजट पर सिफारिशें प्रस्तुत करना;

(घ) ग्राम परिषद को प्रदत्त शैक्षिक संस्थानों के निर्माण तथा मरम्मत कार्य;

(ङ) विद्यार्थियों की नियमितताओं, शिक्षकों की उपस्थिति और विद्यालय कार्यों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।

4. सामाजिक शिक्षा के क्षेत्र में :–

लोगों को स्वावलम्बी, उद्योगी तथा सहयोगी मानसिकता वाले बनाने के लिए उनके बीच नई दृष्टिकोण पैदा करने तथा विशेष रूप से :–

(क) सूचना केन्द्रों, सामुदायिक शिक्षा केन्द्रों और आमोद–प्रमोद केन्द्रों की स्थापना तथा अनुरक्षण;

(ख) सामाजिक सेवा प्रदान करने के लिए युवा क्लब, महिला क्लब तथा कृषक संगठन जैसे संस्थानों की स्थापना और पहले से ही स्थापित संस्थानों को प्रोत्साहित करना